	कार्यवाही विवरण	अनु... में व ...
31.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा जन आधार कार्ड, पी0पी0ओ0 मुखाराम, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक, प्रमाण पत्र सदस्य पंचायत समिती उदयपुरवाटी आधार कार्ड, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र मुखाराम का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी का सही नाम मुखाराम है तथा मुखाराम व सुखा दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख तहसील उदयपुरवाटी की सारहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 66, 68, 222 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सुखा पुत्र बालुराम के बजाय मुखाराम पुत्र बालुराम दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।** 31.8.21 (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी **निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** 31.8.21 (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:15:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner